क्र. एफ. ए-3-42-2017-1-पांच (16).— भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच(16) **मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017)** की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, **इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच(53) दिनांक 18** अक्टूबर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 21क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21ख	शीर्षक 9965 या शीर्षक 9967	किसी ऐसे माल परिवहन एजेंसी द्वारा गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में, निम्नलिखित को , प्रदान की जाने वाली सेवाएं ,- *(क)* केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या संस्थापना; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया है न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ख) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27 क	शीर्षक 9971	किसी बैंकिंग कंपनी के द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम संख्या 34क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "पीएसयू द्वारा" शब्दों के पश्चात "बैंकिंग कंपनियां एवं" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा,

(घ) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"शीर्षक 9992 या शीर्षक 9963";

(ङ) क्रम संख्या 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74क	शीर्षक 9993	भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यावसायिकों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य निकायों, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत हों, द्वारा स्थापित पुर्नवास केन्द्रों में पुर्नवास, थैरैपी या काउंसलिंग और ऐसी ही अन्य क्रियाओं, जो कि आरसीआई एक्ट, 1992 के अंतर्गत आती हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ii) पैराग्राफ 2 में उपवाक्य (यक), के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(यकक) "वित्तीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ की उपवाक्य (ग) में दिया गया हो।" ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-42-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-42-2017-1-पांच (16), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A-3-42/2017/1/V(16) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3-42/2017/1/V(53)- 2017 dated 30 June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i)in the Table, -

(a) after serial number 21A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21B	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage, to, - (a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies, which has taken registration under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.	Nil	Nil";

(b) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27A	Heading 9971	Services provided by a banking company to Basic Saving Bank Deposit (BSBD) account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).	Nil	Nil";

(c) against serial number 34A, in the entry in column (3), after the letters and words "PSUs from the", the words "banking companies and" shall be inserted;

(d) against serial number 66, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely: -
"Heading 9992 or Heading 9963";

(e) serial number 67 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(f) after serial number 74 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74A	Heading 9993	Services provided by rehabilitation professionals recognised under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) by way of rehabilitation, therapy or counselling and such other activity as covered by the said Act at medical establishments, educational institutions, rehabilitation centres established by Central Government, State Government or Union territory or an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).	Nil	Nil";

(ii) in paragraph 2, after clause (za), the following clause shall be inserted, namely: -
"(zaa) "financial institution" has the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).".

2. This notification shall Deemed to have come into force w.e.f. 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.